न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 162/2018 **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

1— रामसिंह आत्मज नाथू सिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलावा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2— अनोख सिंह आत्मज नाथू सिंह उम्र 65 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलावा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

नरवर सिंह आत्मज नाथू सिंह, उम्र 75 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलावा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हुकमचन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 47/2017 निर्णय दिनांक 28.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम अलावा में स्थित आराजी खाता संख्या नया 105 पुराना 100 की आराजी जमाबंदी सम्वत 2072—75 के अनुसार खसरा नम्बर 541/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 547 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा आराजी मृतक फतेहाहि के खातेदारी में दर्ज है । फतेहसिंह

अपीलांट व रेस्पोडेंट के बडे भाई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है । मृतक फतेहसिंह ने दिनांक 06.08.2013 को अपने हक हिस्सा खातेदारी की आराजी की वसीयत अपने भाई राम सिंह अपीलांट नम्बर 1 के नाम पर की है । मृतक की आराजी का इंतकाल अपीलांट नम्बर 1 के नाम से दर्ज नहीं किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है । प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट की तरफ से पेश कर प्रार्थना पत्र के सभी कथनों का विरोध किया गय पत्रावली में दिनांक 29.08.2017 को एक तरफा अंतरिम स्थगन जारी किया बाद में नोटिस जारी किये गये । दिनांक 29.05.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में ली गई । अपीलांट ने जवाब केम्प अलावा में पेश किया गया उसी दिन शिविर में ही सुनवाई पूर्ण करते हुए निर्णय किया गया इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अपीलांट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सभी सत्य कथनों एवं कानूनी बिन्दुओं का वर्णन विस्तार से किया है । जवाब प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने कयास लगाकर 1/3 भाग पर प्रार्थी नम्बर 1 रेस्पोडेंट का कब्जा मान लिया गया जबकि ऐसा कब्जा बाबत रिपोर्ट हल्का पटवारी में तलब नहीं की गई है यह निर्णय विधि की अनुपालना में नहीं होने से अपील आदेश निरस्त होने योग्य है । मृतक फतेहसिंह को प्राप्त अपना हक हिस्सा की व्यवस्था करने बेचान करने, वसीयतदान करने की कानूनी मान्यता प्राप्त है । प्रार्थी रेस्पोडेंट उसका वैध वारिस पुत्र नहीं है । पुत्र की श्रेणी का पुरूष है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसकी वसीयत करने का अधिकार फतेहसिंह को नहीं है । वादग्रस्त आराजी को रामसिंह ही काश्त करता चला आ रहा है । अतः

अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया । वर्तमान में अपीलांट के पक्ष में खातेदारी अधिकार पंजीकृत वसीयत से रचित है तथा कब्जे के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा